न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :– 137/25

नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह उम्र 37 वर्ष जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू, मो.नं. 9079992165 – वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)
2. अर्जुनसिंह पुत्र मालूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
3. ओकारसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील वीदासर जिला चूरू
4. कल्याणसिंह पुत्र जस्सुसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
5. किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
6. गुमानसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
7. गिरधारीसिंह पुत्र मालूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
8. छोटूसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
9. जेठूसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
10. देबूसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
11. नानूदेवी पत्नि सुरजाराम जाति सुनार निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
12. पुष्पा कॅवर पत्नि रूखमालसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
13. राजूसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
14. विक्रमसिंह पुत्र मालूसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
15. विमला पुत्री मदनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
16. संतोष पत्नि मदनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
17. सांवतसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम ढढेरू भाभूवान् तहसील बीदासर जिला चूरू
18. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर
19. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा छापर
20. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दड़ीबा
21. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिग्गा
22. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा बीदासर

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

"राजस्व वाद वास्ते घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955"

निर्णय दिनांक :– 13-11-25

उपस्थित :–

1. अरविन्द चौधरी एडवोकेट वास्ते वादी
2. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 01
3. सज्जन चोटीया एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीगण सं0 4,8,9,10,12,14,17
4. प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7,11,13,15,16,18 ता 22 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के सयुक्त खातेदारी का एक खेत खाता नम्बर नया 115, पुराना 113, खसरा संख्या 301 तादादी 5.4506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, खसरा संख्या 508 तादादी 5.5012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 510 तादादी 6.0829 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 81 तादादी 10.0413 हेक्टयर कुल किता 5 खेत खसरान कुल तादादी 27.5819 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू गोदारान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम भादरसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भाभूवान दर्ज है। उक्त खातेदारी रिकॉर्ड में वादी का यह नाम अशुद्ध अंकित है। उपरोक्त वादगत खसरा भूमि में वादी का नाम विरासतन् नामान्तरकरण दर्ज करते समय भूलवश वादी का बोलता नाम भादरसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भाभूवान अशुद्ध अंकित हो गया। जबकि वादी का वास्तविक और सही एवं शुद्व रिकॉर्डेड दस्तावेजी नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भामुवान है। वादी राजस्व रेकॉर्ड में अपना सही नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह जाति राजपुत दर्ज अंकित करवाना चाहता है। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा – आधार कार्ड, परिचय पत्र, ई–श्रम कार्ड, बैंक खाता, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह जाति राजपुत अंकित है। जो कि सही है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का अशुद्ध नाम भारदसिंह पुत्र रूकमालसिंह अंकित होने के कारण समस्त प्रकार के दस्तावेजी कार्यवाही में भिन्नता होने के कारण वादी को प्रत्येक प्रकार के राजकीय कार्यवाही एवं लाभ से भी वंचित रहना पड़ रहा है। उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि वादी के स्वयं की सयुक्त खातेदारी भूमि है वादी उक्त खाता खसरान् भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होने की हैसियत से रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। भूमि का विरासतन् नामान्तरण दर्ज करते समय त्रुटिवश राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम भादरसिंह पुत्र रूकमालसिंह जाति राजपुत निवासी ढढेरू भाभूवान दर्ज हो गया था, अब वादी राजस्व रेकॉर्ड में अपना सही एवं दस्तावेजी नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह दर्ज करवाना चाहता है। जिसका वादी कानूनी रूप से अधिकारी है आदि आदि पेश कर वादी का नाम सही किए जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वाद पत्र पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 4,8,9,10,12,14,17 कि ओर से श्री सज्जन चोटिया एडवोकेट ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना वकालतनामा पेश किया व इकबाल जवाब पेश करते हुए वादी का नाम शुद्व करने का निवदेन किया जो शामील पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7,11,13,15,16,18 ता 22 की तामिल विधिवत होने के उपरांत भी वोह न्यायालय में अनुपस्थित रहे जिस पर प्रतिवादी संख्या 2,3,5,6,7,11,13,15,16,18 ता 22 के विरूद्व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार राज से प्रकरण में जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

हमनें पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्ती का है जिसमें वादी ने अपने दावे के समर्थन में – आधार कार्ड, परिचय पत्र, ई–श्रम कार्ड, बैंक खाता, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड आदि पेश किए है जो शामिल पत्रावली है। उक्त दस्तावेजों में वादी का नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह अंकित है जबकी राजस्व रेकार्ड वाके रोही ढढेरू गोदारान् तहसील बीदासर चूरू में वादी का नाम भादरसिंह पुत्र रूकमालसिंह अंकित है जिसको वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर शुद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर रोही ग्राम ढढेरू गोदारान् के खाता नम्बर नया 115, पुराना 113, खसरा संख्या 301 तादादी 5.4506 हैक्टेयर, खसरा संख्या 47 तादादी 0.5059 हैक्टेयर, खसरा संख्या 508 तादादी 5.5012 हैक्टेयर, खसरा संख्या 510 तादादी 6.0829 हैक्टेयर व खेत खसरा संख्या 81 तादादी 10.0413 हेक्टयर कुल किता 5 खेत खसरान कुल तादादी 27.5819 हेक्टेयर में वादी का नाम भादरसिंह पुत्र रूकमालसिंह को संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादी का सही नाम नानू सिंह पुत्र रूखमाल सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-11-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर